ऑन लाईन नं. RCMS

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 53/2018

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. सुभाषचन्द पुत्र श्री कर्मचन्द जाति अरोडा निवासी 2217, अग्रसेन नगर–11, श्रीगंगानगर
2. मै0 सुभाष किराना स्टोर, सरस्वती पब्लिक स्कूल के पास, फतूही जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(2)/52 एवं 26(2)(5)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 16.07.2018**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.11.2017 को दोपहर बाद 5.00 बजे वास्ते निरीक्षण फर्म मै0 सुभाष किराना स्टोर एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां पर सुभाषचन्द पुत्र श्री कर्मचन्द उपस्थित मिला। उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर सुभाषचन्द पुत्र श्री कर्मचन्द जाति अरोडा निवासी 2217, अग्रसेन नगर–11, श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो वहां किराना स्टोर में 10 सील्ड पैक्ट बोतल प्रत्येक बोतल में लगभग 700 ग्राम RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें से 4 सील्ड पैक्ट बोतल RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] जांच के लिए खरीद की, RICE BRAN OIL [GAURAV

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

LITE] की कीमत 320/– रू (अखरे रूपये तीन सौ बीस मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री राजेश कुमार एवं वेदप्रकाश जाट के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री सुभाषचन्द्र एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] के सील्ड 4 PET की बोतलों में डालकर एक रूप किया तथा उचित मात्रा में परिरक्षक मिलाकर कंसकर ढक्कन बन्द किये एवं गोंद से चिपकाकर लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–876 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2715/एक्ट/2017/2787 दिनांक 06.12.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–876 RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] **अमानक स्तर** (Misbraned Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त सुभाषचन्द पुत्र श्री कर्मचन्द जाति अरोडा निवासी 2217, अग्रसेन नगर–11, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/51/ 26(2)(5)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.06.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Misbraned Food) पाया गया है। अब प्रार्थी उक्त अमानक ऑयल का विक्रय नहीं करेगा और भविष्य में भी इस बात का ध्यान मे रखेगा। अतः प्रार्थी के साथ नर्मी का रूख अपनाते हुए निर्णय फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] का सैम्पल के–876 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2715/एक्ट/2017/2787 दिनांक 06.12.2017 द्वारा (Misbraned Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा **2(2)/52 एवं 26(2)(5)/58** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Misbraned Food) पाया गया है। अब प्रार्थी उक्त अमानक ऑयल का विक्रय नहीं करेगा और भविष्य में भी इस बात का ध्यान मे रखेगा। अतः प्रार्थी के साथ नर्मी का रूख अपनाते हुए निर्णय फरमाया जावें।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त सुभाषचन्द पर (Misbraned Food) RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] विक्रय करने पर धारा 52 के तहत शास्त्रि 2000/–रूपये (अखरे रूपये दो हजार) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में RICE BRAN OIL [GAURAV LITE] के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/7/18

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर